104

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप-जबलपुर

नि 3212-I-16

पुनरीक्षण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

श्रीमती तारादेवी पति भदई सिंह गौंड
निवासी 2264, पचमठा मंदिर रोड
दुर्गामंदिर के पास छुई खदान रानी दुर्गावती वार्ड गढ़ा
जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्व

1- म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर जबलपुर

2- श्रीमती अनुराधा कुशवाहा उम्र 28 वर्ष
पति श्री विष्णु कुशवाहा
निवासी शॉप नंबर 18, प्रथम तल,
राबरा शॉपिंग कॉम्पलेक्स कटंगा जबलपुर ---- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 20-9-16 को प्रस्तुत
20-9-16
राजस्व मण्डल ... ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 114/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12-9-16 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदिका द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम चरगवां प.ह.नं. 37 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 126/1, 126/2, 163/2, 131/1, 172/1, 124, 174, 260, 132/2, 132/3 रकबा क्रमशः 0.78, 2.33, 1.32, 0.20, 0. 35, 0. 63, 0.73, 0.19, 1.90 0.40 हैक्टर कुल रकबा 8.73 हैक्टर अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्रीमती अनुराधा कुशवाहा पति श्री विष्णु कुशवाहा को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

3- यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से दिनांक 28.5.16 को प्रकरण पंजीबद्धकर प्रकरण दिनांक 29-8-2016 को प्रारंभिक तर्क हेतु नियत किया गया । आवेदक को रूपयों की आवश्यकता होने से उसके द्वारा दिनांक 16-8-16 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया जो उनके द्वारा दिनांक 16-8-16 को निरस्त किया गया

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3212-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। **सदस्य** **<u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u>**	